

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कलसतन जिला - दिल्ली/गढ़ (राज्य)

(पीठारसीन अधिकाारी) गणनीण सेवा शिदिर 2025 वैग्य रथत - अरुण कर्डा

# 829

गणनीण सेवा शिदिर-2025

धारा अन्तर्गत - 136 प.सं. 520/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम-शाम	ज्ञान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>अरुण</u>	202	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ दीकनोर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ दीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंथा सरकार के आदेश राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्याधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>अरुण</u> प.ह. <u>अरुण</u> खातासं <u>202</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ दीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर मन्दावी	हस्ताक्षर मन्दावी	हस्ताक्षर मन्दावी	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

प्रतिनिधि पालनार्थ - त. यथादा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसारी कपासन (उपखण्ड अधिकारी) सहायक कलक्टर

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन